**राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर**

**अपील डिक्री / टी.ए. / 6094 / 2003 / सवाईमाधोपुर**

1. चिरंजीलाल
2. नेमीचंद
3. जगदीश प्रसाद
4. लाडली प्रसाद

पुत्रगण बजरंगलाल जाति महाजन निवासी सूरवाल
तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

....अपीलार्थीगण / वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल
2. रमेश चंद

पुत्रगण रामबिलास

3. चमेली पुत्री रामविलास पत्नी महावीर निवासीगण जवाहर नगर, सवाईमाधोपुर
4. संतरा पुत्री रामविलास पत्नी त्रिलोक जाति महाजन निवासी आदर्श नगर, सवाईमाधोपुर
5. तहसीलदार सवाईमाधोपुर

....उत्तरवादीगण / प्रतिवादीगण

6. कल्याणी देवी पुत्री बजरंगलाल
7. चौसर देवी पुत्री बजरंगलाल

जाति महाजन निवासी सूरवाल तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

....शो0उत्तरवादीगण / वादीगण

**खण्ड पीठ**
**श्री मोडूदान देथा, सदस्य**
**श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य**

उपस्थित–
श्री मनीष पाण्डिया, अभिभाषक अपीलांट्स
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

**निर्णय** **दिनांक : 28.3.2019**

द्वारा–श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

1. यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा अपील संख्या 219 / 02 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–11–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलांट्स ने उपखण्ड अधिकारी, सवाईमाधोपुर के न्यायालय में एक वाद इन्द्राज दुरूस्ती व घोषणा का इस आशय का पेश किया था कि वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त परिवार के सदस्य हैं। वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 168 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 169 रकबा 15 बिस्वा व खसरा नंबर 145 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा वादी व प्रतिवादीगण के बुजुर्गान की सम्मिलित खातेदारी की आराजीयात थी किन्तु सहवन से यह आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में बराबर–बराबर हिस्सा दर्ज हो गई व वादी का नाम छोड दिया गया। जबकि वादी का इन आराजीयात में आधा हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा बराबर होना चाहिए। मौके पर वादी खसरा नंबर 169 में दक्षिण तरफ तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उत्तर दिशा की तरफ काबिज हैं। आराजी खसरा नंबर 2811 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में सहवन से दर्ज हो गई है, जबकि उक्त खसरा नंबर पूर्ण रूप से वादी के हिस्से की आराजी है। इन भूमियों बाबत एक बंटवारा भी पक्षकारान में संवत् 2026 में हो चुका है, जिसकी लिखा–पढी 2/– रूपए के स्टाम्प पर निष्पादित की गई थी। अतः वाद पेश कर निवेदन किया गया था कि खसरा नंबर 2811 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा का खेत वादी के कब्जा व खातेदारी का घोषित किया जाए व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाए। इसी प्रकार आराजी खसरा नंबर 168, 169 व 1451 की वादग्रस्त भूमि में भी वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का बराबर–बराबर 1/2 हिस्सा दर्ज किया जाए।

2 क. प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने जवाब दावा पेश कर वाद पत्र में अंकित तथ्यों से इंकारी की थी। विचारण न्यायालय ने बाद साक्ष्य वादीगण का वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 6–12–1996 के द्वारा खारिज कर दिया था। इस निर्णय व डिक्री को वादी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी, वह अपील दिनांक 20–10–1997 के निर्णय व डिक्री द्वारा अंशतः स्वीकार कर ली गई थी तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया था कि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कर व अपीलांट्स/वादीगण द्वारा प्रस्तुत बंटवारानामा व गवाहान की साक्ष्य का पूर्ण विवेचन करते हुए पुनः निर्णय करे। विचारण न्यायालय ने उक्त निर्देश की पालना करते हुए दिनांक 12–7–2002 को पारित निर्णय व डिक्री के द्वारा वादी का वाद पुनः खारिज कर दिया था। इस निर्णय से खुद को पीडित महसूस करते हुए वादी ने प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिसे आक्षेपित निर्णय व डिक्री के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर ने दिनांक 17–11–2003 को खारिज कर दिया। अतः यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वादीगण/अपीलांट्स की दलील है कि विचारण न्यायालय ने राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा रिमाण्ड आदेश दिनांक 20–10–1997 में दिये गये निर्देश की अवहेलना करते हुए आदेश पारित किया है। वादीगण/अपीलांट्स ने वाद के समर्थन में संवत् 2027 को लिखी गई लिखावट प्रस्तुत की थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की बराबर–बराबर हिस्सा की है। वादीगण ने अपने पक्ष कथन के समर्थन में गवाहान के बयान भी लेखबद्ध करवाये थे किन्तु दोनों न्यायालयों ने साक्ष्य का विवेचन व मूल्यांकन किये बगैर वादीगण का वाद अवैध रूप से खारिज किया है। विचारण न्यायालय ने तनकियात कायम किये बगैर ही वाद का निर्णय किया है। इसी प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी महत्वपूर्ण बिन्दुओं की संरचना किये बगैर प्रथम अपील निर्णित की है। इसलिए आदेश 20 नियम 5 सीपीसी व आदेश 41 नियम 21 सीपीसी के प्रावधानों की दोनों न्यायालयों ने अवहेलना की है। अपीलांट्स/वादीगण का वाद मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उसके गवाह प्रकाश की साक्ष्य में साधारण किस्म का विरोधाभास आया है, जबकि दस्तावेजी साक्ष्य से अपीलांट्स/वादीगण का वाद पूर्णरूप से साबित था। अतः निवेदन किया गया कि अपील स्वीकार की जाकर वादीगण/अपीलांट्स का वाद डिक्री किया जाए।

5. विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स ने उक्त दलीलों का यह कहते हुए विरोध किया है कि जिस लिखावट को वादीगण/अपीलांट्स ने अपने वाद का आधार बनाया है, वह साक्ष्य में ग्राह्य ही नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वाद खारिज करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अतः अपील खारिज की जाए।

6. उक्त तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. यह सही है कि विचारण न्यायालय ने तनकियात कायम किये बगैर ही वाद का निर्णय किया है। किन्तु इससे वादी को क्या प्रीज्यूडिस हुआ, यह तथ्य प्रकट नहीं किया गया है। प्रकरण में केवलमात्र तनकियात कायम नहीं करने से विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अवैधानिक नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में चिरंजीलाल बनाम शंकरलाल वगैरहा ए.आई.आर. 1951 राजस्थान 56 (डी. बी.) में प्रतिपादित सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी हालांकि बिन्दु कायम किये बगैर अपील का निर्णय किया है किन्तु उनका निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को पुष्ट करने वाला है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय

के निर्णय व डिक्री की पुष्टि की है। इन परिस्थितियों में केवल इस आधार पर आक्षेपित निर्णय व डिक्री को अवैधानिक नहीं कहा जा सकता है कि निर्णय में विवाद बिन्दु कायम नहीं किये गये थे।

8. तथ्यों पर दोनों अधीनस्थ न्यायालय इस बात पर सहमत हैं कि जिस बंटवारानामा को अपीलांट्स / वादीगण ने अपने वाद का आधार बनाया है, उसमें भूमि के खसरा नंबरान अंकित नहीं हैं तथा जो गवाहान प्रस्तुत किये गये हैं, वे भी खसरा नंबरान का विवरण दे पाने में असमर्थ रहे हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालय इस तथ्य को लेकर भी एकमत हैं कि बंटवारानामा विधिवत रूप से प्रमाणित नहीं करवाया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के तथ्यों संबंधी निष्कर्षों में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। यह ऐसा भी मामला नहीं है जिसमें साक्ष्य का विवेचन नहीं किया गया हो या साक्ष्य का अवैधानिक रूप से विवेचन किया गया हो। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। विधि का कोई प्रश्न निहित नहीं होने के कारण अपील काबिले खारिज है।

9. लिहाजा यह अपील खारिज की जाती है।

सुनाया गया।

( राजेन्द्र कुमार )
सदस्य

( मोडूदान देथा )
सदस्य